न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 220 / 2024 / अपील / एलआरएक्ट / झालावाड़

दायरा दिनांक 03.09.2024

अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

गिरिराज मीणा आत्मज कैलाश मीणा निवासी अकलेरा तहसील अकलेरा जिला झालावाड़

...अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अकलेरा जिला झालावाड़

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक –अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 06.03.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर, झालावाड़ (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या एफ2 / राजस्व / 2024 / 1401 उनवान गिरीराज बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 09.07.2024 के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी श्री गिरीराज मीणा आ. कैलाश मीणा निवासी अकलेरा के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार अकलेरा द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर आदेश कमांक एफ2 / राजस्व / 2024 / 1308 दिनांक 01.07. 2024 से ग्राम अकलेरा के ख0न0 761 की 1.2141 हेक्ट० मे से 0.1755 हैक्ट० भूमि किस्म चरागाह को रास्ते हेतु दर्ज किये जाने एवं अपीलार्थी / प्रार्थी के खाते की आराजी ग्राम किशनपुरिया के ख0न0 50 की 0.2428 हेक्ट० मे से 0.1755 हैक्ट० भूमि को चरागाह मे दर्ज किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके उपरांत ''राजस्व (ग्रुप–3) विभाग जयपुर के पत्रांक प02 (151) राज–3 / 2022 दिनांक 03.02.2023 में निर्देश प्रदान किये गये है कि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 के सबंध मे मान० सर्वोच्च न्यायालय के जगपाल सिंह के निर्णय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के गुलाब कोठारी के निर्णय अनुसार चारागाह भूमि मे से रास्ता दिया जाना विधिसम्मत नही है'' वर्णित करते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों एवं मान० सर्वोच्च न्यायालय के जगपाल सिंह के निर्णय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के गुलाब कोठारी के निर्णय की पालना में पूर्व में जारी

आदेश कमांक एफ2/राजस्व/2024/1308 दिनांक 01.07.2024 द्वारा जारी ग्राम अकलेरा के ख0न0 761 की 1.2141 हेक्ट० मे से 0.1755 हैक्ट० भूमि किस्म चरागाह को रास्ते हेतु दर्ज किये जाने एवं अपीलार्थी/प्रार्थी के खाते की आराजी ग्राम किशनपुरिया के ख0न0 50 की 0.2428 हेक्ट० मे से 0.1755 हैक्ट० भूमि को चरागाह मे दर्ज किये जाने की स्वीकृति आदेश को एतद्द्वारा निरस्त किये जाने का आदेश दिनांक 09.07.2024 पारित किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या एफ2/राजस्व/2024/1401 उनवान गिरीराज बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 09.07.2024 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय में अपील पेश की जाकर कथन किया गया कि अपीलान्ट के खाते में ग्राम अकलेरा, तहसील अकलेरा में खसरा नम्बर 1844/770 की 1.2949 हैक्टेयर खातेदारी की भूमि स्थित है, परन्तु उक्त कृषि आराजी पर पहुंचने हेतु रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। सड़क एवं प्रार्थी की भूमि के मध्य में चारागाह भूमि स्थित है, अन्य भूमि की अनुपलब्धता होने के कारण प्रार्थी के द्वारा उसकी खातेदारी में स्थित ग्राम किशनपुरिया तहसील अकलेरा के खसरा नम्बर 50 की 0.2428 हेक्टर आराजी में से 0.1755 हैक्टेयर भूमि को चारागाह के बदले समर्पण किए जाने एवं ग्राम अकलेरा के खसरा नम्बर 761 की 1.2141 हेक्टेयर भूमि में से 0.1755 हैक्टेयर भूमि किस्म चारागाह को रास्ते हेतु (मार्गाधिकार) में दर्ज किए जाने हेतु अनुरोध किये जाने पर रेस्पोडेन्ट के द्वारा पूरी जांच पड़ताल कर उक्त बाबत् प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। प्रस्ताव अनुसार एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 29.09.2014 के परिप्रेक्ष्य में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को जिला कलेक्टर झालावाड़ द्वारा दिनांक 01.07.2024 को स्वीकार कर आदेश पारित किया गया था। परन्तु जिला कलेक्टर झालावाड़ द्वारा कानूनी प्रावधानों पर उचित गौर नहीं फरमा कर अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिए बिना ही दिनांक 09.07.2024 को पूर्व में पारित आदेश दिनांक 01.07.2024 निरस्त कर दिया। जिला कलेक्टर झालावाड़ के द्वारा आदेश दिनांक 01.07.2024 सम्पूर्ण जांच पड़ताल के बाद एवं तहसीलदार अकलेरा के प्रस्ताव अनुसार व राजस्व ग्रुप-9 विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प2 (63) राज-9/2014 दिनांक 29.09.2014 के परिपेक्ष्य में पारित कर ग्राम अकलेरा के खसरा नम्बर 761 की 1.2141 हैक्टेयर में से 0.1755 हैक्टेयर किस्म चारागाह भूमि की किस्म खारिज कर सार्वजनिक रास्ता दर्ज किए जाने की अनुमति प्रदान की गई थी तथा साथ ही प्रार्थी अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी ग्राम किशनपुरिया के खसरा नम्बर 50 की 0.2428 हैक्टेयर में से 0.1755 हैक्टेयर भूमि को चारागाह में दर्ज किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। परन्तु बिना आधार के जिला कलेक्टर झालावाड़ के द्वारा आदेश दिनांक 01.07.2024 निरस्त करने में त्रुटि की है। जिला कलेक्टर झालावाड़ के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.07.2024 पारित किया गया है, यह आदेश राजस्व ग्रुप-3 विभाग जयपुर के पत्रांक दिनांक 03.02.2023 के निर्देश में पारित किया गया है, परन्तु 03.02.2023 के

निर्देश अपीलान्ट के मामले में लागू नहीं होते हैं एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के गुलाब कोठारी के निर्णय के तथ्य भिन्न–भिन्न होने से अपीलान्ट के मामले में लागू नहीं होते हैं। आदेश दिनांक 09.07.2024 में वर्णित राजस्व विभाग जयपुर का पत्र दिनांक 03.02.2023 अपीलान्ट से सम्बंधित नहीं है। यह प्रकरण जिला सीकर का हैं इस पत्र के तथ्यों एवं आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है। प्रार्थी के द्वारा अपने खाते की आराजी पर पहुंचने के लिए राजस्व रिकोर्ड में कोई रास्ता अंकित नहीं है एवं अन्य भूमि के अनुपलब्धता होने के कारण जितनी भूमि प्रार्थी के रास्ते में चारागाह की ली गई है उतनी भूमि प्रार्थी के द्वारा चारागाह में दी गई है। ऐसी स्थिति में अन्य भूमि की अनुपलब्धता के आधार पर चारागाह की भूमि में होकर रास्ता देने एवं अपीलान्ट की अन्य भूमि चारागाह के लिए देने का आदेश विधि सम्मत् था परन्तु जिला कलेक्टर झालावाड़ के द्वारा पत्र क्रमांक 03.02.2023 के निर्देशों पर उचित गौर नहीं फरमा कर आदेश जेर अपील पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट के स्वयं के खाते की आराजी खसरा नम्बर 1844 / 770 पर पहुंचने हेतु कोई रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। केवल सड़क व प्रार्थी की भूमि के मध्य चारागाह की भूमि स्थित है। अन्य भूमि की अनुपलब्धता के आधार पर जिला कलेक्टर झालावाड़ के द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07.2024 पारित किया गया है वह विधि सम्मत है। जिसे राजस्थान सरकार के पत्र. क्रमांक 03.02.2023 जो जिला कलेक्टर सीकर के नाम है, के आधार पर स्वतः निरस्त नहीं किया जा सकता। जिला कलेक्टर झालावाड़ द्वारा आदेश दिनांक 09.07.2024 एकतरफा रूप से पारित किया जाना प्रतीत होता है जो प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत है। आदेश दिनांक 01.07.2024 विधि सम्मत् तरीके से पारित किया गया था जिसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर जिला कलेक्टर झालावाड़ का आदेश दिनांक 09.07.24 निरस्त फरमाया जावे तथा उक्त मामले में पारित आदेश क्रमांक एफ2 / राजस्व / 2024 / 1308 दिनांक 01.07.2024 बहाल किया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस / सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि जिला कलेक्टर झालावाड़ के द्वारा आदेश दिनांक 01.07.2024 सम्पूर्ण जांच पड़ताल के बाद एवं तहसीलदार अकलेरा के प्रस्ताव अनुसार व राजस्व ग्रुप–9 विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प2 (63) राज–9 / 2014 दिनांक 29.09.2014 के परिपेक्ष्य में पारित कर ग्राम अकलेरा के खसरा नम्बर 761 की 1.2141 हैक्टेयर में से 0.1755 हैक्टेयर किस्म चारागाह भूमि की किस्म खारिज कर सार्वजनिक रास्ता दर्ज किए जाने की अनुमति प्रदान की गई थी तथा साथ

संभागीय आयुक्त
कोटा

ही प्रार्थी अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी ग्राम किशनपुरिया के खसरा नम्बर 50 की 0.2428 हैक्टेयर में से 0.1755 हैक्टेयर भूमि को चारागाह में दर्ज किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिला कलेक्टर झालावाड़ के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.07.2024 पारित किया गया है यह आदेश राजस्व ग्रुप–3 विभाग जयपुर के पत्रांक दिनांक 03.02.2023 के निर्देश में पारित किया गया है, परन्तु 03.02.2023 के निर्देश अपीलान्ट के मामले में लागू नहीं होते हैं एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के गुलाब कोठारी के निर्णय के तथ्य भिन्न–भिन्न होने से अपीलान्ट के मामले में लागू नहीं होते हैं। आदेश दिनांक 09.07.2024 में वर्णित राजस्व विभाग जयपुर का पत्र दिनांक 03.02.2023 अपीलान्ट से सम्बंधित नहीं है। जिला कलेक्टर झालावाड़ द्वारा आदेश दिनांक 09.07.2024 एकतरफा रूप से पारित किया जाना प्रतीत होता है जो प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत है। आदेश दिनांक 01.07.2024 विधि सम्मत् तरीके से पारित किया गया था जिसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है। जिला कलेक्टर झालावाड़ द्वारा कानूनी प्रावधानों पर उचित गौर नहीं फरमा कर अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिए बिना ही दिनांक 09.07.2024 को पूर्व में पारित आदेश दिनांक 01.07.2024 निरस्त कर दिया। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर जिला कलेक्टर झालावाड़ का आदेश दिनांक 09.07.24 निरस्त फरमाया जावे तथा उक्त मामले में पारित आदेश क्रमांक एफ2/राजस्व/2024/1308 दिनांक 01.07.2024 बहाल रखा जाने का अनुरोध किया गया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRT 2015(1) Page No. 163 पेश किये।

5. प्रस्तुत प्रकरण में अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी श्री गिरीराज मीणा आ. कैलाश मीणा निवासी अकलेरा के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार अकलेरा द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर आदेश कमांक एफ2/राजस्व/2024/1308 दिनांक 01.07.2024 से ग्राम अकलेरा के ख0न0 761 की 1.2141 हेक्ट० मे से 0.1755 हैक्ट० भूमि किस्म चरागाह को रास्ते हेतु दर्ज किये जाने एवं अपीलार्थी/प्रार्थी के खाते की आराजी ग्राम किशनपुरिया के ख0न0 50 की 0.2428 हेक्ट० मे से 0.1755 हैक्ट० भूमि को चरागाह मे दर्ज किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके उपरांत "राजस्व (ग्रुप–3) विभाग जयपुर के पत्रांक प02 (151) राज–3/2022 दिनांक 03.02.2023 में निर्देश प्रदान किये गये है कि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 के सबंध मे मान० सर्वोच्च न्यायालय के जगपाल सिंह के निर्णय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के गुलाब कोठारी के निर्णय अनुसार चारागाह भूमि मे से रास्ता दिया जाना विधिसम्मत नही है" वर्णित करते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों एवं मान० सर्वोच्च न्यायालय के जगपाल सिंह के निर्णय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के गुलाब कोठारी के निर्णय की पालना में पूर्व में जारी आदेश कमांक एफ2/राजस्व/2024/1308 दिनांक 01.07.2024 द्वारा जारी ग्राम अकलेरा के ख0न0 761 की 1.2141 हेक्ट० मे से 0.1755 हैक्ट० भूमि किस्म चरागाह को रास्ते हेतु दर्ज किये जाने एवं अपीलार्थी/प्रार्थी के खाते की आराजी ग्राम किशनपुरिया के ख0न0 50 की 0.2428 हेक्ट० मे से 0.1755 हैक्ट० भूमि को चरागाह मे दर्ज किये जाने की स्वीकृति आदेश को एतदद्वारा निरस्त किये जाने का आदेश दिनांक 09.07.2024 पारित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क रहा

है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश कमांक एफ2/राजस्व/2024/1308 दिनांक 01.07.2024 जारी करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिए बिना ही पूर्व में पारित आदेश दिनांक 01.07.2024 निरस्त कर दिया। जिला कलेक्टर झालावाड़ के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.07.2024 पारित किया गया है यह आदेश राजस्व ग्रुप-3 विभाग जयपुर के पत्रांक दिनांक 03.02.2023 के निर्देश में पारित किया गया है, परन्तु 03.02.2023 के निर्देश अपीलान्ट के मामले में लागू नहीं होते हैं एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के गुलाब कोठारी के निर्णय के तथ्य भिन्न-भिन्न होने से अपीलान्ट के मामले में लागू नहीं होते हैं। आदेश दिनांक 09.07.2024 में वर्णित राजस्व विभाग जयपुर का पत्र दिनांक 03.02.2023 अपीलान्ट से सम्बंधित नहीं है। जिला कलेक्टर झालावाड़ द्वारा आदेश दिनांक 09.07.2024 एकतरफा रूप से पारित किया जाना प्रतीत होता है जो प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत है।

6. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर आदेश क्रमांक एफ.2/राजस्व/2024/1308 दिनांक 01.07.2024 से प्रस्तावनुसार राजस्व(ग्रुप-9) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.2(63) राज-9/2014 दिनांक 29.09.2014 के परिपेक्ष्य में ग्राम अकलेरा के खसरा सं0 761 दिनांक 1.2141 है0 में से 0.1755 है0 किस्म चारागाह भूमि की किस्म खारिज कर सार्वजनिक रास्ता दर्ज किये जाने की अनुमति प्रदान करते हुए प्रार्थी के खातेदारी आराजी ग्राम किशनपुरिया के खसरा सं0 50 की 0.2428 है0 में से 0.1755 है0 भूमि को चारागाह में दर्ज किये जाने की स्वीकृति पारित की गई। इसके उपरांत पुनः आदेश दिनांक 09.07.2024 से पूर्व आदेश दिनांक 01.07.2024 को निरस्त किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में आदेश दिनांक 09.07.2024 पारित करते समय अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाना प्रकट होता है, जिसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम न्यायहित में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की दृष्टि से अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है। परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, झालावाड़ द्वारा प्रकरण संख्या एफ2/राजस्व/2024/1401 उनवान गिरीराज बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 09.07.2024 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर, परीक्षण/जांच कर प्रकरण मे पुनः तर्कसंगत एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

7. निर्णय आज दिनांक 06.03.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

6/3/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा